रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032024-253357
CG-DL-E-23032024-253357

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946
No. 65] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2024

मामला संख्याः एडी (ओआई)-31/2023

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एल्युमिनियम फॉइल” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

F. No. 06/35/2023-DGTR.—1. मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रवि राज फ़ॉइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फ़ॉइल्स प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड और मैसर्स एलएसकेबी एल्युमीनियम फॉयल प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ''नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एल्युमिनियम फॉइल” के कथित पाटन के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है ।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद ''एल्युमीनियम फॉयल'' (जिसे यहां आगे ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' अथवा ''पीयूसी'' भी कहा गया है) है, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :-

i. गैर-कैपेसिटर अनुप्रयोगों के लिए चीन से 5.5 माइक्रोन से कम के एल्यूमीनियम फॉइल। कैसिटर अनुप्रयोगों के लिए 5.5 माइक्रोन से कम एल्यूमीनियम फ़ॉइल विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर हैं। इसे विशेष रूप से "चीन, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 80 माइक्रोन और उससे कम के एल्यूमीनियम फ़ॉइल" के संबंध में की गई एडीडी जांच में स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया था।

ii. इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन कवरिंग और चाय बैग अनुप्रयोग में उपयोग हेतु अल्ट्रा-लाइट गेज कन्वर्टेड फ़ॉइल - अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड फ़ॉइल एक एल्यूमीनियम फ़ॉइल होती है जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 7 माइक्रोन तक होती है जिसमें और जिसके पीछे कागज और स्क्रिम या ग्लास क्लोथ लगा होता है, चाहे इन्सुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन कवरिंग और और चाय बैग के अनुप्रयोग में उपयोग हेतु प्लेन या मुद्रित हों।

iii. इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए नक़्क़ाशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फ़ॉइल - नक़्क़ाशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फ़ॉइल है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के निर्माण में किया जाता है। इलेकट्रोलिटिक केपेसिटर के लिए एच्ड या फामर्ड एल्युमीनियम फाइल- एच्ड या फॉर्म्ड एल्युमिनियम फॉइल होती है।

iv. फैकेड क्लैडिंग और साइनेज अनुप्रयोगों के लिए एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल – एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल फेकेट क्लैडिंग और साइनेज में प्रयुक्त एल्युमिनियम की दो पतली परतों के बीच बांडेड एक गैर एल्युमिनियम कोर (प्राय: पी ई) होता है।

v. क्लैड विद कंपेटिबल नॉन क्लेड एल्युमीनियम फॉयल – क्लैड विद कंपेटिबल नॉन क्लेड एल्युमीनियम फॉयल इंजिन कूलिंग और आटोमोटिव उद्योग में वातानुकूलन प्रणाली में प्रयोग के लिए उच्च मजबूती एल्यूमिनियम एलॉय कोर सामग्री से एल्युमिनियम सर्फेस लेयर मेटेलर्जिकली बांडेड रूप में एक जंगरोधी एल्युमिनियम शीट होता है; जैसे रेडिएटर, कंडेशर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।

vi. बीयर की बोटल के लिए एल्यूमिनियम फॉइल – खुरदरी सतह और छिद्रित रूप में 10.5 माइक्रोन की एल्यूमिनियम फॉइल चाहे मुद्रित हो अथवा नहीं ; इसका बीयर की बोतल में प्रयोग किया जाता है।

vii. एल्युमीनियम- मैंगनीज- सिलिकॉन आधारित और/या क्लैड एल्युमीनियम-35 एमपीए से अधिक ब्रेज़िंग पश्चात उत्पादन मजबूती के साथ, मैग्नीज सिलीकॉन आधारित अलॉय चाहे क्लैड हो या अन्क्लैड जिन्हें रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेनसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवोपोरेटर, हीट वेंटीलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणालियों और उनके कलपुर्जो सहित हीट एक्सचेंजर में प्रयोग के लिए टैरिफ शीर्ष 7607 के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

viii. अधेसिव टेप

ix. कलर कोटेड एल्युमिनियम फॉइल

3. खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की सुरक्षा, भंडारण और तैयारी के लिए एल्युमीनियम फ़ॉइल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य और खाद्य उत्पादों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए पैकेजिंग सामग्री के रूप में किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत उप शीर्ष 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तु के आयात निम्नलिखित कोडों 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071992 के अंतर्गत भारत में प्रवेश कर रहे हैं। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. आवेदकों ने प्रस्तुत आवेदन में निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है :

क्र.सं.	फॉइल का प्रकार	माइक्रोन रेंज	बेयर/ कन्वर्टेट
1	अलु अलु स्टॉक	45-60	बेयर फॉइल
2	हाऊस फॉइल	8 - 22	बेयर फॉइल
3	लाइट गेज (एलजी)	7 - < 20	बेयर फॉइल
4	मीडियम गेज (एमजी)	20-60	बेयर फॉइल

5	सेमी रिजिट कंटेनर (एसआरजी)	30 - 80	बेयर फॉइल
6	अल्ट्रा- लाइट गेज बेयर	5.5 - <7	बेयर फॉइल
7	बैट्री फॉइल	9 - 20	बेयर फॉइल
8	केपेसिटर	4.5 - 20	बेयर फॉइल
9	कोई अन्य बेयर फॉइल (जो 1-8 के अंतर्गत शामिल नहीं हो)		बेयर फॉइल
10	सिगरेट फॉइल	< = 7	कन्वर्टेड
11	हाऊस फॉइल कन्वर्टेड	8 - 22	कन्वर्टेड
12	एसआरसी कन्वर्टेड	30 - 80	कन्वर्टेड
13	मीडियम गेज (एमजी) कन्वर्टेड	20-60	कन्वर्टेड
14	लाइट गेज (एलजी) कन्वर्टेड	7 - < 20	कन्वर्टेड
15	बैट्री फॉइल कन्वर्टेड	9 - 20	कन्वर्टेड
16	अलु अलु कन्वर्टेट / लेमिनेटेड	45-60	कन्वर्टेड
17	कोई अन्य कन्वर्टेट फॉइल (जो 10-16) में शामिल नहीं हो ।		कन्वर्टेड

6. वर्तमान जांच के पक्षकार के प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन के 15 दिनों के भीतर पीयूसी और प्रस्तावित पीसीएन संबंधी अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 25 में यथा इंगित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

7. इच्छुक पार्टियाँ इस अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, सूचित कर सकती हैं। इस संबंध में कोई भी प्रस्तुतीकरण सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विधिवत समर्थित होना चाहिए। किसी उत्पाद प्रकार को बाहर रखने के लिए कोई अनुरोध भारत में आयात और घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के अभाव के सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य से विधिवत रूप से समर्थित होना चाहिए ।

ख. <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने बताया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित और चीन जन. गण. से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन और संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है । आवेदकों ने दावा किया है कि पीयूसी के उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं । इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उतपादित संबद्ध वस्तु को चीन जन. गण. से आयातित किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है ।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

9. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नानुसार परिभाषित है :

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है ।

10. यह आवेदन मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रवि राज फ़ॉइल्स लिमिटेड, मेसर्स जीएलएस फ़ॉइल्स प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड और मैसर्स एलएसकेबी एल्युमीनियम फॉयल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । यह आवेदन निम्नलिखित उत्पादकों द्वारा समर्थित है अर्थात ईएसएस डीईई एल्यूमिनियम लिमिटेड, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड और ट्रेफ़ोइल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड । यद्यपि, स्पर्श इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड संबद्ध वस्तु का एक नया उत्पादक है, तथापि ईएसएस डीईई एल्युमीनियम लिमिटेड, एसआरएफ अल्टेक

लिमिटेड और ट्रेफ़ोइल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड नई उत्पादन क्षमताओं की स्थापना कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है।

11. आवेदकों अर्थात एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रविराज फॉइल्स लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। तथापि, जीएलएस फ़ॉइल्स प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड ने चीन से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। आवेदक संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं।

12. चूंकि आवेदकों का उत्पादन भारत में संबद्ध वस्तु के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है इसलिए आवेदक एडीडी नियमावली,1995 के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर स्थिति को पूरा करते हैं और घरेलू उद्योग हैं तथा एडीडी नियमावली,1995 के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को यह आवेदन पूरा करता है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

13. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है ।

ङ. <u>जांच की अवधि</u>

14. आवेदन ने आरंभ में 1 अक्टूबर 2022 - 30 जून 2023 (9 महीने) का जांच अवधि (जिसे आगे पीओआई भी कहा गया है) के रूप में प्रस्ताव किया था। क्षति संबंधी सूचना पीओआई और तीन पूर्ववर्ती वर्षों, अर्थात 1 अप्रैल 2019-31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020-31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021- 30 सितंबर 2022 (वार्षिकीकृत) और पीओआई के लिए प्रदान की गई है।

15. तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए 1 अक्टूबर 2022 - 30 सितंबर 2023 (12 महीने की अवधि) पर जांच अवधि (पीओआई) के रूप में विचार किया है जो जांच के लिए उचित है। क्षति जांच अवधि में 2019-20, 2020-21, अप्रैल 2021-सितंबर, 22 (वार्षिकीकृत) और 1 अक्टूबर, 2022- 30 सितंबर, 2023 (12 महीने की अवधि) की संशोधित पीओआई शामिल होगी ।

च. <u>पाटन मार्जिन की गणना</u>

(क) सामान्य मूल्य

16. आवेदन ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित होना चाहिए । आवेदकों ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं । आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए ।

17. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदकों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अभाव में तत्संबंधी विश्वसनीय सूचना नहीं मिल पायी। प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नोट करते हैं कि अन्य देशों से भारत में आयात या तो मामूली हैं या उन पर शुल्क लागू है ।

18. अत: वर्तमान जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य आवेदकों की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर परिकलित किया गया है और उसे तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

(ख) निर्यात कीमत

19. प्राधिकारी ने निवल निर्यात कीमत (एनईपी) के निर्धारण के लिए संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमत पर विचार किया है। तत्पश्चात प्राधिकारी ने कारखाना द्वार कीमत ज्ञात करने के लिए इन इन कीमतों में आवश्यक समायोजन किए हैं ।

(ग) पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथमदृष्टया सिद्ध करती है कि पाटन मार्जिन संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में न्यूनतम स्तर से अधिक और काफी अधिक है । इस

प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. **क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप**

21. आवेदकों ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष दोनों तरह से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। यद्यपि, यह नई क्षमताओं में वृद्धि के कारण हुआ है, तथापि, घरेलू उद्योग ने बताया है कि यदि चीन के उत्पादकों द्वारा पाटन नहीं हुआ होता तो क्षमता उपयोग में यह गिरावट नहीं आयी होती। पाटित आयातों द्वारा हुए कीमत न्यूनीकरण की वजह से घरेलू उद्योग पूरी लागत और तर्कसंगत आय प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पा रहा है। संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर बुरा प्रभाव पड़ा है जिसकी वजह से नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई, पीओआई के दौरान ऋणात्मक रहे हैं। घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तरों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया चीन जन. गण. से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हैं।

ज. **शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करना**

22. आवेदकों ने निम्नलिखित दावे करते हुए पाटनरोधी शुलक को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया है:

क. देश में उत्पाद के पाटन का स्पष्ट इतिहास है। चीन से पाटन का इतिहास रहा है।

ख. भारत में आयातकों को यह तथ्य ज्ञात है कि निर्यातक भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन करते हैं। आयातकों को यह भी पता है कि ऐसी किसी प्रक्रिया से भारतीय उत्पादकों को क्षति होगी।

ग. निर्यातकों द्वारा भारी पाटन इस तथ्य द्वारा भी सिद्ध होता है कि पाटन मार्जिन जांच अवधि के दौरान मासिक आधार पर भी काफी अधिक रहा है।

घ. घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई है।

23. हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में 15 दिनों में अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं। सीमा शुल्क प्राधिकारियों को इस जांच का परिणाम आने तक आयातों का अनंतिम आकलन करने की सलाह दी जा रही है।

झ. **जांच की शुरूआत**

24. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधान पर और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी वास्तविक क्षति की पाटनरोधी जांच को एतद्द्वारा शुरू करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ञ. **प्रक्रिया**

25. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 6 के अंतर्गत यथानिर्धारित सिद्धांतों का पालन किया गया है।

ट. **सूचना प्रस्तुत करना**

26. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

27. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. **समय सीमा**

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को एडीडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adv11-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। यहां विनिर्दिष्ट समय सीमा प्रश्नावली का उत्तर तथा कोई अन्य सूचना प्रस्तुत करने के लिए होगी, जिसे हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच के संबंध में प्रस्तुत करना चाहता है, प्राधिकारी ऐसे किसी अनुरोध को अस्वीकृत कर सकते हैं जिसे विहित समय सीमा के बाद दायर किया गया हो।

32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

33. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ड. **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

34. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7 और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

35. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

36. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपोक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

37. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

38. अगोपनीय सारांश पर्यास विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है और नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

39. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 25 में यथा इंगित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है ।

40. सार्थक अगोपनीय अंश या नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयाता के संबंध में पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीय अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा ।

41. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

42. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. <u>सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण</u>

43. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोधों के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर इस जांच शुरूआत अधिसूचना के खंड–ण के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

ण. <u>असहयोग</u>

44. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और अलग पत्र के जरिए दी गई आगामी समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2024

Case No. AD(OI)-31/2023

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Aluminium foil" originating in or exported from China PR.

F. No. 06/35/2023-DGTR.—1. M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Shyam Sel & Power Ltd, M/s Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., M/s Ravi Raj Foils Ltd., M/s GLS Foils Product Pvt. Ltd., and M/s LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as the "applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), seeking initiation of an anti-dumping investigation by alleging dumping of "aluminium foil", originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

A. <u>Product under consideration</u>

2. The product under consideration in the present application is "aluminium foil" (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), excluding the following:

i. Aluminium foil below 5.5 microns from China for non-capacitor applications. Aluminium foil for capacitors applications, below 5.5 microns is within the scope of the product under consideration. This was specifically excluded in the anti-dumping duty investigation conducted on "aluminium foil 80 microns and below originating in or exported from China, Malaysia, Thailand and Indonesia."

ii. Ultra-Light Gauge Converted foil meant for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application – Ultra Light Gauge Converted foil is an aluminium foil having thickness of 5.5 mic to 7 mic which and is backed with kraft paper & scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application.

iii. Etched or formed aluminium foils meant for Electrolytic Capacitor - Etched or formed aluminium foils is aluminium foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor

iv. Aluminium composite panel meant for facade cladding and signage applications - Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in facade cladding and signage.

v. Clad with compatible non clad aluminium foil – Clad with compatible non clad aluminium foil is a corrosion-resistant aluminium sheet formed from aluminium surface layers metallurgically bonded to high-strength aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry; such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.

vi. Aluminium foil for beer bottle – aluminium foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.

vii. Aluminium- manganese- silicon based and/ or clad aluminium- manganese silicon based alloys, whether clad or unclad- with post brazing yield strength greater than 35 MPA, falling under tariff heading 7607 for use in heat exchangers including radiators, charge air coolers, condensers, oil coolers, heater cores, evaporators, heat ventilation and air conditioning (HVAC) systems and parts thereof.

viii. Adhesive tapes

ix. Colour coated aluminium foil

3. Aluminium foil is used extensively for protection, storage, and preparation of foods and beverages. It is used as a packaging material, for conservation and preservation of edible and food products.

4. The product under consideration is classified under subheading 7607 of the Customs Tariff Act. Imports of the subject goods are entering into India under the following codes 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 and 76071992. The customs classification is indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

5. The applicants have proposed the following product control numbers (PCNs), in the application filed:

SN	Type of Foil	Micron Range	Bare / Converted
1	Alu Alu Stock	45-60	Bare Foil
2	House Foil	8 - 22	Bare Foil
3	Light Gauge (LG)	7 - < 20	Bare Foil
4	Medium Gauge (MG)	20-60	Bare Foil
5	Semi Rigid Container (SRC)	30 - 80	Bare Foil
6	Ultra-Light Gauge Bare	5.5 - <7	Bare Foil
7	Battery Foil	9 - 20	Bare Foil
8	Capacitor	4.5 - 20	Bare Foil
9	Any other Bare Foil (Not falling within 1-8)		Bare Foil
10	Cigarette Foil	< = 7	Converted
11	House Foil Converted	8 - 22	Converted
12	SRC Converted	30 - 80	Converted
13	Medium Gauge (MG) Converted	20-60	Converted
14	Light Gauge (LG) Converted	7 - < 20	Converted

15	Battery Foil Converted	9 - 20	Converted
16	Alu Alu Converted/ laminated	45-60	Converted
17	Any other converted Foil (Not falling within 10-16)		Converted

6. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and the proposed PCNs, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the application filed before the Authority as indicated in paragraph 25 of this initiation notification.

7. Interested parties may intimate their comments, if any, on the scope of the product under consideration, and PCNs within 15 days of this notification. Any submissions in these regards should be duly supported with verifiable documentary evidence. Any request for exclusion or inclusion of some product type should be duly supported with verifiable documentary evidence of imports into India and absence of like article by the domestic industry.

B. <u>Like Article</u>

8. The applicants have stated that there are no significant differences in the article produced by the applicants and exported from the subject country. The article produced by the applicants and that imported from China PR are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicants are technically and commercially substitutable. The applicants have claimed that consumers of the PUC are using the subject goods and the article manufactured by the applicants interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as like article to the product being imported from China PR.

C. <u>Domestic industry and standing</u>

9. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

> *'"domestic industry' means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry "*

10. The application has been filed by M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Shyam Sel & Power Ltd., M/s Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., M/s Ravi Raj Foils Ltd., M/s GLS Foils Product Pvt. Ltd., and M/s LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd. The application has been supported by the following producers i.e. ESS DEE Aluminium Ltd., Sparsh Industries Pvt. Ltd, SRF Altech Ltd., and Trefoil Packaging Pvt Ltd. While Sparsh Industries Pvt. Ltd. is a new producer of the subject goods, ESS DEE Aluminium Ltd., SRF Altech Ltd., and Trefoil Packaging Pvt Ltd., are establishing new production capacities and are yet to commence production.

11. The applicants namely, LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., Hindalco Industries Ltd., Raviraj Foils Ltd., M/s Shyam Sel & Power Ltd., and Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd. have not imported the subject goods from the subject country. However, GLS Foils Product Pvt. Ltd., has imported subject goods from China. The applicants are also not related to any the importer or the exporter of the subject goods.

12. Since the production of the applicants account for a major proportion of the total production of the subject goods in India, the applicants satisfy the standing and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the ADD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the ADD Rules, 1995.

D. <u>Subject Country</u>

13. The subject country for the present investigation is China PR.

E. <u>Period of Investigation</u>

14. The applicants had initially proposed POI as 1st Oct. 2022 – 30th June 2023 (9 months) as the period of investigation (hereinafter also referred to as 'POI'). The injury information has been provided for the POI and three preceding years, i.e., 1st April 2019- 31st March 2020, 1st April 2020-31st March 2021, 1st April 2021-30th September 2022 (Annualised), and the POI.

15. However, the Authority has considered period of investigation (POI) for the present investigation is from 1st Oct. 2022 – 30th Sept. 2023 (a period of 12 months) which is appropriate for this investigation. The injury investigation period will cover the period of 2019-20, 2020-21, 1st April 2021- 30th Sept 22 (annualized) and the revised POI from 1st Oct. 2022 – 30th Sept. 2023 (a period of 12 months).

F. <u>Dumping margin computation</u>

(a) NORMAL VALUE

16. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule — 7 of a Annexure I of the Rules. The applicants have cited Para 8(2) of Annexure-I of the Rules and have stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure-I of the Rules. The applicants have claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

17. The applicants have submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, the applicants could not get reliable information regarding the same in absence of any publicly available information. The Authority keeping in view the provisions under para 7 of Annex-1 of the rules, notes that imports into India from other countries are either minimal or attracting duty.

18. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production of the applicants duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

(b) EXPORT PRICE

19. The Authority has considered the CIF price of the subject goods for the determination of net export price (NEP). The Authority has, thereafter, made necessary adjustments to these prices to arrive at the ex-factory price.

(c) DUMPING MARGIN

20. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level and is significant with respect to the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

G. <u>Allegation of Injury and Causal Link</u>

21. The applicants have provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in both absolute as well as in relative terms. The capacity utilization of the domestic industry has declined. While this is additionally because of new capacity additions, the domestic industry has submitted that they would not have faced this decline in capacity utilization, had there been no dumping by the Chinese producers. The price depression caused by the dumped imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve reasonable rate of returns. The subject imports have an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the cash profits, PBIT and ROCE are negative in the POI. There has also been an increase in the inventory levels of the domestic industry. Thus, the evidence provided by the applicants *prima facie* shows injury to the domestic industry caused by the alleged dumped imports from China PR.

H. <u>Retrospective imposition of duty</u>

22. The applicants have requested for retrospective imposition of the antidumping duty by claiming the following:

    a. There is clear history of dumping of the product in the country. Not only there is history of dumping from China.

    b. The importers in India are aware of the fact that exporters practice dumping of subject goods into India. The importers are also aware that such a practice would cause injury to the Indian producers.

    c. The exporters have resorted to massive dumping is well established by the fact that the dumping margin has remained significant on monthly basis during the period of investigation.

    d. The performance of domestic industry has steeply declined over the period of investigation.

23. The interested parties may offer their comments in this regard as per time limit given in this notification.

I. Initiation of the Investigation

24. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicants substantiating the dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. Procedure

25. The principles as stipulated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

K. Submission of information

26. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

27. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

28. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

29. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

30. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. Time Limit

31. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the ADD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules. The time limits specified herein shall be for filing questionnaire responses and any other information that an interested party wishes to provide with regard to present investigation. The Authority may reject any submissions that are filed after the prescribed time limits.

32. All the interested parties are here by advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

33. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the ADD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. Submission of information on confidential basis

34. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7 of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

35. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as non-confidential information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

36. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other

reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

39. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by any interested party within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 25 of this initiation notification.

40. Any confidential submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without any sufficient cause statement in terms of Rule 7 of the Rules and appropriate trade notices issued by the Authority on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

41. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

42. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. <u>Inspection of Public File</u>

43. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions might lead to action under Section O of this initiation notification.

O. <u>Non-Cooperation</u>

44. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.23 17:03:49 +05'30'